<u>उत्तरखंड विद्वान उच्च न्यायालय में , नैनीताल</u>

विशेष अपील 2017 का No.263 में

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.6136

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

उत्तरांचल वन श्रमिक संघ .....प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.277

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.6314

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

श्रीमती आशा देवी और अन्य .. .. प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.302

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.6519

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

गजे सिंह .. .. प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.303

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.6521

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

कालू राम .. .. प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.304

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.6523

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

श्रीमती भारसि देवी और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.312

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.6639

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

दिग्पाल सिंह रावत और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.317

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.6643

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

मगन सिंह और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.318

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.6641

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

प्रेम सिंह और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.349

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.6848

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

नवीन चंद्र जोशी और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.366

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.7071

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

कुमाऔ वन श्रमिक संघ .. .. प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.398

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.7713

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

मोहन सिंह चमयाल और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.411

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.7901

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

प्रेम सिंह और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.412

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.7905

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

नंदन सिंह और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.456

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.8917

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

करम चंद्र . . .. प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.457

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.8915

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

अटम राम रावत और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.459

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.8913

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

हंसा दत्त उप्रेती और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.483

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.9246

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

भैरव दत्त पांडे और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.605

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.10614

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

श्रीमती विनीता नयाल .. .. प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.606

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.10612

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

बाली राम और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.608

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.10620

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

महेश चंद्र कांडपाल और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.609

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.10618

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

शिव सिंह अधिकारी और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.624

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.10839

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

सुभाष लाल .. .. प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.691

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.11411

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

मुरारी लाल पेटवाल .. .. प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.711

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.11553

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

श्रीमती सुलोचना जोशी .. .. प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.736

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.11834

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

फारुख खान और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.739

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.11958

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

श्रीमती वमो देवी और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.740

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.11956

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

बहादुर सिंह और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.748

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.12063

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

महेंद्र सिंह.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.826

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.13220

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

रूप सिंह और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.842

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.13355

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

पूरन सिंह मेहता और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.849

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.13367

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

दीवान लाल साह .. .. प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.850

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.13369

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

मदन गिरी और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.856

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.13475

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

जसवंत सिंह और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.858

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.13473

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

जय सिंह और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.876

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.13805

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

राम सिंह रावत और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.878

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.13801

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

चंदन सिंह बिष्ट और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.879

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.13809

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

गणेश चंद्र भट्ट .. .. प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.881

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.13815

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

राजेन्द्र प्रसाद .. .. प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.883

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.13803

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

देव कुमार और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.919

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.14237

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

बीर सिंह रावत और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.935

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.14497

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

देवकी नंदन भट्ट और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.937

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.14492

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

नंदा बल्लभ जोशी और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.939

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.14495

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

अतर सिंह गुसाई और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.959

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.14722

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

विजय सिंह और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.960

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.14725

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

शिवेश्वर प्रसाद पैनयूली और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2017 का No.992

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2017 का No.15124

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

बहादुर सिंह और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2018 का No.180

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2018 का No.3674

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

गुमात सिंह और अन्य.. ..... प्रतिवादी

साथ

विशेष अपील 2018 का No.282

के साथ

विलम्ब अति.लो.अभि. 2018 का No.5477

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... याचिकाकर्ता

पुराण चंद्र जोशी और अन्य.. ..... प्रतिवादी

श्री प्रदीप जोशी , उत्तराखंड राज्य/ याचिकाकर्ता के विद्वान वकील

श्री के. के. जोशी, श्री संजय भट्ट और श्री गणेश कांडपाल, प्रत्यर्थियों - के विद्वान वकील

<u>तारीखः22 फरवरी, 2019</u>

<u>संदर्भित मामलों की कालानुक्रमिक सूचीः</u>

1. (2006) 9 एससीसी 337
2. 2013 (3) यूपीएलबीईसी 2349
3.(2014) 2 एससीसी 114
4.(2017) 1 एससीसी 148
5.(1990) 2 एससीसी 715;
6. (2005) 1 एससीसी 444
7.ए . आई. आर. 1965 एस सी 1153
8. ए. आई. आर 1971 एस. सी. 1676
9.ए. आई. आर 2005 एस. सी. 2392
10. (2005) 7 एससीसी 190
11।(2004) 12 एससीसी 673
12।ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1652
13.(2002) 4 एससीसी 638
14.ए. आई. आर 1965 एस. सी. 1887
15.(2004) 5 एससीसी 568
16।(1984) 2 एससीसी 324
17.(1972) 1 ऑल ई. आर. 801

18.(1995) 1 एससीसी 259
19.(1993) 3 एससीसी 29
20.ए. आई. आर 2001 एस. सी. 581
21. (1984) 2 एससीसी 402
22.(1994) 2 एससीसी 718
23.ए. आई. आर 1966 एस. सी. 529

कोरमःमाननीय रमेश रंगनाथन, C.J.

माननीय R.C| खुल्बे, जे.

माननीय रमेश रंगनाथन, C.J. (मौखिक)

विशेष अपील सं. 2017 का 691 का विरोध नहीं किया गया है और इसलिए इसे माफ विलम्ब दिया गया है।

2. विशेष अपीलों के इस समूह को उत्तराखंड राज्य द्वारा 2014 (एस/एस) की रिट याचिका संख्या 2014 का मुकदमा 495 (एस . एस .) दिनांक 23.03.2017 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्राथमिकता दी जाती है।

3. उत्तरदाता-लिखित याचिकाकर्ता सभी उत्तराखंड राज्य के वन विभाग में दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे हैं। वन रक्षक, गेटमैन, चौकीदार, चालक आदि। उन्होंने रिट याचिकाओं के इस समूह को दायर किया जिसमें उन्हें भुगतान किए जा रहे न्यूनतम वेतन के पैमाने पर महँगाई भत्ता (इसके बाद "डीए" के रूप में संदर्भित) का भुगतान करने की मांग की गई थी।

4. इस मामले का एक उतार-चढ़ाव वाला इतिहास रहा है जो 09.11.2000 पर उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने से बहुत पहले का है।कुमाऊं बान श्रमिक संघ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष 1988 की रिट याचिका 9 No.15627 दायर की, जिसमें सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतनमान के समान वेतनमान का दावा किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रिट याचिका सं. 1988 के 15627 दिनांक 25.02.1993 ने उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग को कुमाऊं बन श्रमिक संघ के सदस्यों को बिना वृद्धि के न्यूनतम वेतनमान का भुगतान करने का निर्देश दिया, लेकिन संबंधित डीए के साथ। इससे व्यथित होकर, उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार ने 1994 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.25422 दायर की, जिसे उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 01.12.1994 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।नतीजतन, कुमाऊं बान श्रमिक संघ के सभी सदस्य, जो संघ के सदस्य थे जब रिट याचिका नं. 1988 का 15627 दाखिल किया गया था और दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे थे, उन्हें डीए के साथ सरकार में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर लागू न्यूनतम वेतनमान का भुगतान किया गया था।

5.जबकि मामला इस तरह खड़ा था, उत्तरांचल वन श्रमिक संघ (एक अन्य संघ जिसके सदस्य भी दैनिक मजदूरी पर वन विभाग में काम कर रहे थे) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष 1995 की रिट याचिका दायर कर अपने सदस्यों के लिए कुमाऊं बन श्रमिक संघ के सदस्यों के साथ समानता की मांग की, और उनके लिए भी डीए के साथ

न्यूनतम वेतनमान का भुगतान किया जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखंड वन श्रमिक संघ के सदस्यों को चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आसीन कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान का भुगतान करने के निर्देश पर दिनांक 15.05.1999 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था।उक्त अंतरिम आदेश में डीए के भुगतान का कोई उल्लेख नहीं था।

6.लिखित याचिका सं. 1995 का 33062 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की फाइल पर अभी भी लंबित था, जब उत्तराखंड राज्य का गठन 09.11.2000 पर किया गया था।उक्त रिट याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से इस उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, और इसे 2001 की संख्या 1664 रिट याचिका (एस/एस) के रूप में फिर से क्रमांकित किया गया था।उक्त रिट याचिका को दिनांक 01.06.2009 के आदेश द्वारा निष्फल बताते हुए खारिज कर दिया गया था।एक बहाली आवेदन दायर किए जाने पर, 2001 की संख्या 1664 रिट याचिका (एस/एस) फाइल करने के लिए बहाल कर दिया गया था, साथ ही पहले के अंतरिम आदेश दिनांक 15.05.1999 के साथ।

7. रिट याचिका (एस/एस) सं.2001 की 1664 रिट याचिका विचाराधीन रहने के दौरान इस न्यायालय की फाइल पर, उच्चतम न्यायालय ने पुट्टी लाल 1 (1998 की 10 सिविल अपील में आदेश) में, दैनिक मूल्यांकन वाले श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान का भुगतान करने का निर्देश दिया, जैसा कि सरकार में उनके समकक्षों द्वारा प्राप्त किया जा रहा था, यह स्पष्ट करते हुए कि वे किसी अन्य भत्ते या वृद्धि के हकदार नहीं होंगे जब तक कि वे दैनिक वेतन भोगी के रूप में बने रहेंगे।इसके बाद, रिट याचिका (एस/एस) सं। 2001 के 1664 का निपटारा दिनांक 05.03.2011 के आदेश द्वारा किया गया था और प्रधान वन संरक्षक को सर्वोच्च न्यायालय (पुट्टी लाल 1 में) की टिप्पणियों के साथ-साथ वन विभाग के लिए राज्य में लागू नियमितीकरण नियमों के आलोक में याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।

8. हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ताओं को न्यूनतम वेतनमान (कम से कम जब तक उन्होंने रिट याचिकाओं का वर्तमान बैच दायर नहीं किया था) का भुगतान किया गया था, उन्हें डीए के भुगतान का लाभ नहीं दिया गया था। D.A का भुगतान न करने से व्यथित होकर, उन्होंने 2014 की रिट याचिका (S/S) No.495 और बैच के माध्यम से फिर से इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान किया, जिसके परिणामस्वरूप 23.03.2017 पर अपील के से आदेश पारित किया गया।

9. अपील के से आदेश में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने मुकदमे के इतिहास का पता लगाया और पुट्टी लाल 1 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा प्रश्न कुमाऊं बन श्रमिक संघ के सदस्यों को 1988 की रिट याचिका में इलाहापश्चात उच्च न्यायालय द्वारा दिए विद्वान फैसले के अनुसार नियमित रूप से डीए का भुगतान प्रश्नया जा रहा था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने <आईडी 2 पर बरकरार रखा था; राज्य सरकार को कम से कम अपने कर्मचारियों के साथ भेदभाव करने के बजाय डीए के भुगतान में समानता बनाए रखनी चाहिए थी; प्रतिवादी-राज्य सरकार कुमाऊं बन श्रमिक संघ के सदस्यों को डीए का भुगतान कर रही थी, लेप्रश्नन याचिकाकर्ताओं को इससे वंचित कर दिया था; यह एक अदृश्य खण्ड पीठ था।

10. रिट याचिकाओं की अनुमति दी गई और प्रतिवादी (इसमें अपीलकर्ताओं) को कुमाऊं बन श्रमिक संघ के सदस्यों के बराबर याचिकाकर्ताओं को डीए का भुगतान करने और जारी करने का निर्देश दिया गया। 21.03.2002 अवशिष्ट राशि के साथ आदेश की तिथि से दस सप्ताह की अवधि के भीतर।याचिकाकर्ताओं को प्रति वर्ष 12% ब्याज का हकदार माना गया था और यदि राशि जारी नहीं की गई थी, तो वे उन्हें भुगतान किए जाने तक प्रति वर्ष 18% ब्याज के हकदार होंगे।इससे व्यथित उत्तराखंड राज्य ने इन अपीलों को प्राथमिकता दी है।

11. उत्तराखंड राज्य के विद्वान स्थायी वकील श्री प्रतिथिप जोशी ने कहा कि चूंकि इलाहापश्चात उच्च न्यायालय से आदेश 1988 की रिट याचिसे में अंतर-पक्षीय निर्णय है, जिसे अंतिम रूप दिया विद्वान था, इसलिए 1994 की विशेष अनुमति पर राज्य सरसेर उक्त संघ के उन सभी कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए बाध्य थी, जो 1988 की रिट याचिसे के दौरान इसके सदस्य थे, न्यूनतम वेतनमान के साथ-साथ राज्य सरसेर कुमाऊं बान श्रमिक संघ के उन सदस्यों को भी डीए से भुगतान नहीं कर रही है, जिन्हें या तो राज्य सरसेर द्वारा दैनिक वेतन पर नियुक्त किया विद्वान था। 1988 से 15627 दाखिल किया विद्वान था) मात्र उक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित न्यूनतम वेतनमान 12 के हकदार हैं; वे डीए सहित किसी अन्य भत्ते के हकदार नहीं हैं; समानता से दावा पूरी तरह से निराधार है क्योंकि उत्तरांचल वन श्रमिक संघ द्वारा दायर 1995 की रिट याचिसे No.33062, जिसे पश्चात में 2001 की रिट याचिसे (S/S) No.1664 के रूप में फिर से क्रमांकित किया विद्वान था, से निपटारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपने दिनांक 05.03.2011 के आदेश द्वारा किया विद्वान था, जिसमें निर्देश दिया विद्वान था कि उसमें याचिसेकर्ताओं के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (पुट्टी लाल 1 में) के संदर्भ में विचार किया जाए; क्योंकि "महँगाई भत्ता" अभिव्यक्ति ही दिखाएगी कि यह एक

12.दूसरी ओर, प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि डीए वेतन का एक हिस्सा है, और कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए भुगतान किया जाता है; इस भत्ते को हमेशा वेतन के एक हिस्से के रूप में माना गया है; किसी भी स्थिति में, महँगाई भत्ता अन्य सभी भत्तों से अलग है; पुट्टी लाल 1 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने राम किशोर 2 में विचार किया था, और यह माना गया था कि डीए कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान के साथ देय था; पुट्टी लाल 1 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है, कि डीए वेतन का हिस्सा नहीं है; प्रधान वन संरक्षक (एचआर) ने अपने पत्र में संबोधित किया था।

13. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा 1988 की रिट याचिका No.15627 दिनांक 25.02.1993 में पारित आदेश ने 1993 की SLP No.25422 पर अंतिमता प्राप्त की, जिसे उक्त आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पसंद किया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 01.12.1994 पर खारिज कर दिया गया था।न्यायालय/न्यायाधिकरण का आदेश या निर्णय, भले ही गलत हो, अंतर-पक्षों को बाध्यकारी है।सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायाधीशालयों के निर्णयों का बाध्यकारी चरित्र, मूल रूप से कानून के शासन का एक हिस्सा है जिस पर न्यायाधीश का प्रशासन स्थापित किया जाता है।(डायरेक्ट रिक्रूट क्लास ॥ इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन

5; U.P। राज्य सड़क परिवहन निगम 6)।अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत रिट कार्यवाही में विवाद के मामले, पक्षकारों को अपने मामले को साबित करने के लिए उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात इसे तय करने के लिए सक्षम अदालत द्वारा निर्णय लिया जाता है और कौन सी कार्यवाही ने अंतिमता प्राप्त कर ली है, अंतर-पक्षीयों को बाध्य करता है।(गुलाबचंद छोटालाल पारिख 7; बुआ दास कौशल 8)।एक बार जब कोई मामला, जो एल. आई. एस. का विषय था, एक सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो उसके बाद किसी भी पक्ष को बाद के मुकदमे में इसे फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।(स्वामी आत्मानंद 9; ईश्वर दत्त 10)।अंतर-पक्षीय निष्कर्ष निकाले गए मुद्दों को अंतर-पक्षीय कार्यवाही में फिर से नहीं उठाया जा सकता है।(हरियाणा राज्य 11)।नतीजतन, रिट याचिका संख्या में आदेश। 1988 का 15627 दिनांक (आई. डी. 1) (एक अंतर-पक्षीय निर्णय जिसने अंतिमता प्राप्त कर ली है) ने राज्य सरकार को उन सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को डी. ए. का भुगतान जारी रखने के लिए बाध्य किया जो कुमाऊं बन श्रमिक संघ के सदस्य थे जब रिट याचिका सं. 1988 का 15627 दाखिल किया गया था।

14. यह तथ्य कि उत्तरांचल वन श्रमिक संघ ने 1995 की रिट याचिका No.33062 के माध्यम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लागू किया, जिसमें कुमाऊं बन श्रमिक संघ (रिट याचिका संख्या में याचिकाकर्ता) के सदस्यों के साथ समानता का दावा किया गया। 15627 (1988 का 14) यह दर्शाता है कि वे भी इस बात से अवगत थे कि रिट याचिका सं. 1988 का 15627 दिनांकित आई. डी. 1. आर. एम. में एक निर्णय नहीं था, अन्यथा, उनके लिए समानता की मांग करते हुए एक अलग रिट याचिका दायर करना पूरी तरह से अनावश्यक था।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, रिट याचिका सं। 1995 का 33062, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से उत्तराखंड उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने पर, 2001 की रिट याचिका संख्या 1664 (एस/एस) के रूप में फिर से क्रमांकित किया गया था, जिसका निपटान दिनांक 05.03.2011 के आदेश द्वारा किया गया था, जिसके तहत राज्य सरकार को पुट्टी लाल1 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।रिट याचिका संख्या में राज्य सरकार को कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था। 2001 का 1664 दिनांक 05.03.2011, याचिकाकर्ताओं को D.A का भुगतान करने के लिए।

15.पुट्टी लाल 1 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहाः-..... "कई मामलों में, इस न्यायालय ने समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धान्त को लागू करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि एक दिहाड़ीदार, यदि वह सरकार के नियमित रोजगार में समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, तो कम से कम न्यूनतम वेतनमान प्राप्त करने का हकदार होना चाहिए, हालांकि वह किसी भी वृद्धि या किसी अन्य भत्ते का हकदार नहीं हो सकता है जो सरकार में अपने समकक्ष के लिए अनुमेय है।हमारी मत में, यह सही स्थिति होगी और इसलिए हम निर्देश देते हैं कि ये दिहाड़ी मजदूर सरकार में अपने काउंटर-पार्ट द्वारा प्राप्त किए जा रहे न्यूनतम वेतनमान का लाभ उठाने के हकदार होंगे और जब तक वे दैनिक मजदूरी के रूप में बने रहेंगे, तब तक वे किसी अन्य भत्ते या वृद्धि के हकदार नहीं होंगे।उनके नियमित अवशोषण के प्रश्न से स्पष्ट रूप से पहले से संदर्भित वैधानिक नियम के अनुसार निपटा जाएगा।जहाँ तक उत्तरांचल राज्य का संबंध है, दैनिक श्रमिकों के नियमितीकरण के लिए एक योजना हमारे सामने पेश की गई है जो

नियमितीकरण के लिए योग्यता के प्रावधान को छोड़कर प्रथमदृष्टया आपत्तिजनक नहीं लगती है।यह कहा जाए कि नियमित होने के लिए आवश्यक योग्यता वह योग्यता होगी जो उस तिथि को प्रासंगिक थी जब किसी विशेष कर्मचारी को दैनिक वेतनभोगी के रूप में लिया गया था, न कि वह योग्यता जो योजना के अन्तर्गत तय की जा रही है।यह तथ्य कि कर्मचारियों को इतने वर्षों तक बने रहने की अनुमति दी गई है, इस तरह के पदों के अस्तित्व या आवश्यकता को दर्शाता है।लेकिन फिर भी, न्यायालय के लिए यह संकेत देना खुला नहीं होगा कि इन दैनिक मजदूरी श्रमिकों के अवशोषण के लिए कितने पद बनाए जाएंगे।यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उपयुक्त प्राधिकारी इन दिहाड़ी मजदूरों के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा जिन्होंने अपने संबंधित अधिकार की संतुष्टि के लिए इन सभी वर्षों के लिए कर्तव्यों का निर्वहन किया है।जहां तक 15 प्रतिशत वेतन का संबंध है, जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में कहा है, उत्तरांचल राज्य में एक दैनिक वेतनभोगी भी न्यूनतम वेतनमान का हकदार होगा जो सरकार में उसके समकक्ष के लिए उपलब्ध है, जब तक कि उसकी सेवाओं को नियमित नहीं किया जाता है और उसे नियमित वेतनमान नहीं दिया जाता है।"(जोर दिया गया)

16.पुट्टी लाल 1 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले के विरुद्ध की गई थी, जिसमें निर्देश दिया गया था कि दैनिक श्रेणी के श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान का भुगतान किया जाना चाहिए जैसा कि सरकार में संबंधित पद पर नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी के लिए उपलब्ध था।इस संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि दिहाड़ी मजदूर सरकार के नियमित रोजगार के समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो उन्हें कम से कम न्यूनतम वेतनमान प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, हालांकि वे सरकार में अपने समकक्ष के लिए अनुमत "किसी भी वृद्धि" या "किसी अन्य भत्ते" के हकदार नहीं हो सकते हैं, जब तक कि वे दिहाड़ी मजदूर के रूप में बने रहें।

17. सरकार के वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के संबंध में ये निर्देश जारी करते हुए, पुट्टी लाल 1 में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड राज्य द्वारा रखी गई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित योजना पर भी विचार किया और दोहराया कि जहां तक वेतन का संबंध है, जैसा कि राज्य के मामले में है, उत्तरांचल राज्य में दैनिक वेतन भी न्यूनतम वेतनमान का हकदार होगा जो सरकार में उनके समकक्ष के लिए उपलब्ध था, जब तक कि उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया जाता और उन्हें नियमित वेतनमान नहीं दिया जाता।

18. U.P राज्य में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के संबंध में जारी किए गए निर्देश उत्तराखंड राज्य में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों पर भी लागू किए गए थे।पुट्टी लाल 1 के फैसले को जगजीत सिंह 4 में संदर्भित किया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संबंधित कर्मचारी उस श्रेणी के न्यूनतम वेतनमान के हकदार होंगे, जिससे वे संबंधित हैं, लेकिन उनके द्वारा धारण किए गए पदों से जुड़े भत्तों के हकदार नहीं होंगे।16

19.जबकि प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुतीकरण किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को लिखें, कि मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभाव को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी को डीए का भुगतान किया जाता है, काफी बल है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुट्टी लाल 1 में घोषित कानून बाध्यकारी है।सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय न मात्र इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे

पक्षों के अधिकारों पर एक निर्णय का गठन करते हैं, और उनके बीच विवादों का समाधान करते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ऐसा करने में वे भविष्य के मामलों में एक बाध्यकारी सिद्धान्त के रूप में काम करने वाली कानून की घोषणा को शामिल करते हैं।हमारी न्यायिक प्रणाली के प्रशासन में बाध्यकारी मिसाल का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है।यह न्यायिक निर्णयों में निश्चितता और निरंतरता को बढ़ावा देता है।(चंद्र प्रकाश 12)।संविधान का अनुच्छेद 141 स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा।(एम. आर. अप्पाराव 13; राजेश्वर प्रसाद मिश्रा 14)।कानून, जो अनुच्छेद 141 के अन्तर्गत बाध्यकारी है, किसी दिए गए मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए और तय किए गए बिंदुओं पर सभी टिप्पणियों तक फैला हुआ है।(एम. आर. अप्पाराव 13)।उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून पर, यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार कार्य करे और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करे।उच्चतम न्यायालय की विधि की घोषणा का पालन करना के लिए न्यायिक अनुशासन को किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं छोड़ा जा सकता है, चाहे वह किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय हो, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 से बेखबर हो।(चंद्र प्रकाश 12; धनीराम लुहार 15)।

20. न्यायिक अनुशासन की आवश्यकता है, और कानून वारंट के लिए ज्ञात शिष्टाचार, कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।इस देश में मौजूद न्यायालयों की पदानुक्रमित प्रणाली में, प्रत्येक निचले स्तर के लिए उच्च स्तर के निर्णयों को वफादारी से प्रतिग्रहण करना करना आवश्यक है।न्यायिक प्रणाली तमात्र काम करती है जब किसी को अंतिम शब्द रखने की अनुमति दी जाती है और उस अंतिम शब्द को, जो एक बार बोला जाता है, वफादारी से स्वीकार किया जाता है।(कौसल्या देवी बोगरा 16; कैसेल एंड कंपनी Ltd.17)।जबकि उच्च न्यायालय स्वतंत्र है, और एक सह-समान संस्थान है, संवैधानिक योजना और न्यायिक अनुशासन की आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को उचित सम्मान देना चाहिए जो भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं।(स्पेंसर एंड कंपनी Ltd.18; बेयर इंडिया Ltd.19; 17 E.S.P। राजाराम 20)।उच्च न्यायालय का एक निर्णय जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और निर्देशों का पालन करने से इनकार करता है, या उच्च न्यायालय के एक निर्णय को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपास्त दिया गया था, एक शून्य है।(नरिंदर सिंह 21); कौसल्या देवी बोगरा 16; (एम। आर. अप्पाराव 13)।इसलिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून के विपरीत उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।

21. राम किशोर 2 में, जिस पर प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ताओं की ओर से अवलम्ब रखी गई है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष विशेष अपीलों को राज्य सरकार द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को डीए के साथ न्यूनतम वेतनमान दिया विद्वान था। जबकि राज्य सरकार ने उक्त आदेश के विरुद्ध विशेष अपीलों का एक समूह दायर किया था, एक दैनिक श्रेणी के कर्मचारी, जिसे इसी तरह की राहत नहीं दी गई थी, ने भी एक विशेष अपील दायर की थी।

22. पुट्टी लाल 1 में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर ध्यान देने पश्चात इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने राम किशोर 2 में कहा कि पुट्टी लाल 1 में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि यदि कोई दैनिक वेतनभोगी सरकार के नियमित रोजगार में कार्यरत लोगों के समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, तो उसे कम से कम न्यूनतम वेतनमान प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, हालांकि वह किसी भी वृद्धि या किसी अन्य भत्ते का हकदार नहीं हो सकता है जो सरकार में उसके काउंटर-पार्ट के लिए अनुमेय है।इसके बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने कहाः-..... ".यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि महँगाई भत्ता न्यूनतम वेतनमान पर लागू होता है जिसके लिए दिहाड़ीदार हकदार हैं, निश्चित रूप से, वे कपड़े धोने, चिकित्सा आदि जैसे अन्य भत्तों के हकदार नहीं हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय (ऊपर) द्वारा उल्लिखित है।महँगाई भत्ते का भुगतान करने का उद्देश्य मुद्रास्फीति को पूरा करना है।इसलिए, समय-समय पर मूल्य सूचकांक के अनुसार महँगाई भत्ता निर्धारित किया जाना है।हर कोई मुद्रास्फीति से पीड़ित है।यह उल्लेख किया जा सकता है कि भारत में, महँगाई भत्ते का इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध का है। उस समय, कम वेतन पाने वाले कई कर्मचारियों को उनके वेतन या वेतन के आधार पर महँगाई भत्ता मिलता था।निजी और सरकारी दोनों अध्ययनों के अनुसार, पिछले कई वर्षों में महँगाई भत्ते और इसकी गणना में कई बदलाव हुए हैं।उदाहरण के लिए, अब एक दिन, 18 D.A की गणना करने के लिए, 12 महीने के वेतन के औसत और एक निर्धारित सूचकांक स्तर को मूल्य/जीवन यापन की लागत में प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करने के लिए माना जाता है।महँगाई भत्ते का भुगतान आधार-वेतन स्तरों की एक श्रृंखला पर किया जाता है।वेतनमान के संशोधन के समय, वेतन आयोग का हमेशा D.A में विलय किया जाता था। नए पे बैंड के साथ।इस प्रकार, बढ़ती लागत दैनिक मजदूरी को भी प्रभावित करती है।इसलिए, हमारा विचार है कि दिहाड़ी मजदूर, जिन्हें न्यूनतम वेतनमान मिल रहा है, वे भी मात्र महँगाई भत्ते प्राप्त करने के हकदार हैं।इसके अलावा, उनके लिए कोई अन्य भत्ता या वृद्धि स्वीकार्य नहीं है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय (उपरोक्त) ने कहा है।उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मुद्रास्फीति को पूरा करने के लिए, दैनिक मजदूरों के लिए महँगाई भत्ता स्वीकार्य है जो उन्हें स्वीकार्य न्यूनतम वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं।इस आशय का आदेश विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका सं. 2009 के 1500 (एस/एस) को इस सीमा तक संशोधित किया विद्वान है।अन्य विशेष अपीलों में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों को उसमें उल्लिखित कारणों के साथ कायम रखा जाता है और राज्य द्वारा दायर विशेष अपीलों को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है....." (ज़ोर दिया गया)

23.प्रश्न यह नहीं है कि क्या मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभाव को पूरा करने के लिए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को डी. ए. का भुगतान किया जाना चाहिए, बल्कि यह है कि क्या पुट्टी लाल 1 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें इस तरह के भत्ते का भुगतान करने का निर्देश दिया था; और क्या सर्वोच्च न्यायालय के दैनिक मजदूरी बढ़ाने के निर्देश, सरकार में नियमित कर्मचारियों द्वारा रखे गए समान पदों पर काम करने के लिए, न्यूनतम वेतनमान में डी. ए. का भुगतान भी शामिल था।

24. पुट्टी लाल 1 में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश मात्र उत्तराखंड सरकार के लिए हैं कि वह दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को "न्यूनतम वेतनमान" का भुगतान करे।एक कर्मचारी का वेतनमान मात्र मूल वेतन का प्रतिनिधित्व करता है, और इस मूल वेतन पर ही डीए की गणना और भुगतान किया जाता है।पुट्टी लाल 1 में उच्चतम न्यायालय का निर्देश मात्र न्यूनतम वेतनमान के भुगतान के लिए है, न कि किसी अन्य भत्ते के लिए।"महँगाई भत्ता" शब्द, अपने आप विरुद्ध और बिना किसी और चीज़ के, इंगित करते हैं कि यह एक भत्ता भी है, भले ही इसका भुगतान किया जा रहा हो, मूल वेतन के प्रतिशत के रूप विरुद्ध जिसके आदेश एक कर्मचारी हकदार है, ताकि उसे मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभावों से बचाया जा सके।इसलिए, हमें राम किशोर 2 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की मत से सम्मानपूर्वक असहमत होना चाहिए, कि पुट्टी लाल 1 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के बावजूद, एक दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी को डीए का भुगतान किया जाना चाहिए।प्रस्तुतीकरणकरण, कि वेतन में डीए शामिल होगा, मात्र अस्वीकार किए जाने के लिए नोट किया जाना चाहिए।

25. पुट्टी लाल 1 में उच्चतम न्यायालय के फैसले में अपने अक्षर और भावना दोनों में अनुपालन की आवश्यकता है, इसके बावजूद कि दैनिक मूल्यांकन वाले श्रमिकों को डीए का भुगतान उन्हें मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने में मदद करेगा।सहज प्रवृत्ति की ओर झुकना कानून के ठंडे तर्क को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति रखता है।कानून के अनुसार न्याया एक सिद्धान्त है जो पहाड़ों जितना पुराना है।न्यायालयों को कानून का प्रशासन करना है क्योंकि वे इसे असुविधाजनक पाते हैं, यद्यपि यह असुविधाजनक हो सकता है।(आशा रामचंद्र अम्बेडकर 22)।दयनीय स्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन इस मामले में कानून को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।(मार्टिन बम Ltd.23)।

26. भेदभाव की दलील भी स्वीकृति के योग्य नहीं है।कुमाऊँ बान श्रमिक संघ के सदस्य, जिन्होंने 1988 की रिट याचिका No.15627 दायर की थी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 25.02.1993 के आदेश को ध्यान में रखते हुए (जिसने 1994 की SLP No.25422 पर अंतिमता प्राप्त की और फिर से 01.12.1994 पर खारिज किए जाने को प्राथमिकता दी), डीए के भुगतान के हकदार थे। पुट्टी लाल 1 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून यह है कि "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को लागू करने पर, सरकार के नियमित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के समान कार्य करने वाले दैनिक श्रेणी के श्रमिकों को सरकार में नियमित चतुर्थ श्रेणी के पदों पर लागू न्यूनतम वेतनमान का भुगतान किया जाएगा और वे किसी अन्य भत्ते के हकदार नहीं होंगे।उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून के आलोक में, पुट्टी लाल 1 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्व खण्ड पीठ ने रिट याचिका सं. 1998 का 15627 दिनांकित 25.02.1993 अब अच्छा कानून नहीं है

27. कानून में परिवर्तन के बावजूद, पुट्टी लाल 1 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का पिछला फैसला, रिट याचिका सं।. 1988 का 15627 दिनांक 25.02.1993, पक्षकारों को बाध्य करना जारी रखेगा, क्योंकि उक्त निर्णय ने अंतिमता प्राप्त कर ली है।याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका सं. इसलिए,

पुट्टी लाल 1 में उच्चतम न्यायालय के पश्चात के निर्णय में, इसके विपरीत, कानून की घोषणा के पश्चात भी, 1988 का रिट याचिका संख्या 15627 दिनांक 25.02.1993, महँगाई भत्ते के भुगतान का हकदार होगा। 20

28.दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी, जो रिट याचिका संख्या में फैसले के पक्षकार नहीं थे। 1988 का रिट याचिका संख्या 15627 दिनांकित 25.02.1993, यद्यपि एक अलग आधार पर खड़ा है।इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा,1988 का रिट याचिका संख्या 15627 दिनांक 25.02.1993, पुट्टी लाल 1 में अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए एक अलग दृष्टिकोण पर लागू होना बंद हो गया।नतीजतन, ऐसे सभी दैनिक श्रमिक, जो रिट याचिका सं. 1988 का 15627, पुट्टी लाल 1 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून से बाध्य हैं, न कि लिखित याचिका संख्या में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले के फैसले से। 1988 का 15627 दिनांक 25.02.1993।वे रिट याचिका संख्या विरुद्ध याचिकाकर्ताओं के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। 1988 की रिट याचिका संख्या 15627, और न ही वे दावा कर सकते हैं कि उनके साथ मात्र इसलिए भेदभाव किया गया है क्योंकि, उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं ने 1988 के रिट याचिका संख्या 15627 को सरकार द्वारा महँगाई भत्ता दिया जाना जारी है।प्रतिवादी- याचिकाकर्ता मात्र सरकार में नियमित चतुर्थ श्रेणी के पदों के न्यूनतम वेतनमान को बढ़ाने के हकदार होंगे, न कि महँगाई भत्ते के लिए।

29. अवलम्ब ने सरकार के अधिकारियों के बीच कुछ आंतरिक पत्राचार पर प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया कि डीए देय है, इसका भी कोई फायदा नहीं है।यह पुट्टी लाल 1 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून है, जो उत्तराखंड राज्य के कुछ अधिकारियों के विपरीत किसी भी समझ के बावजूद राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है।

30. किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर, हम संतुष्ट हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ताओं को डी. ए. के भुगतान का निर्देश देने में गलती की क्योंकि यह पुट्टी लाल 1 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन था।डी. ए. का भुगतान करने के निर्देश के रूप में। यह अपने आप में अवैध है, 21.03.2002 से उक्त राशि का भुगतान करने के निर्देश, वह भी प्रति वर्ष 12%/18% पर ब्याज के साथ, भी अवैध हैं और इसे इस तरह घोषित किया जाना चाहिए।अपील के अन्तर्गत आदेश, इसलिए, निर्धारित किए जाते हैं, और विशेष अपीलों की अनुमति दी जाती है।यद्यपि परिस्थितियों में, बिना किसी लागत के।

(आर. सी. खुल्बे, जे.) **(रमेश रंगनाथन, सी. जे .)**

22.02.2019 **22.02.2019**

निशांत